दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

''पंचायती राजः स्थानीय स्वशासन की संस्था''

माननीय मुख्यमंत्री के शोध, अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना के तहत्

प्रायोजक

योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार

आयोजक

प्रो० जी०पी० सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, पटना

सहयोगी

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना

GPSCDMRD

BIA

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला
माननीय मुख्यमंत्री के शोध, अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना के तहत्

''पंचायती राजः स्थानीय स्वशासन की संस्था''

संदर्भ :–

''मुख्यमंत्री शोध, अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना'' के तहत् राज्य योजना एवं विकास विभाग के सौजन्य से **''पंचायती राजः स्थानीय स्वशासन की संस्था''** विषय पर प्रो॰ जी॰पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, पटना (जीपीएससीडीएमआरडी) द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पंचायती राज की चुनौतियों से निबटने के लिए राज्य सरकार को नीति निर्धारण करने के लिए समुचित तथ्य व शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में यह प्रो॰ जी॰ पी॰ सिन्हा सेन्टर... का एक अहम रोल है। जन नीतियों की जो गतिशील प्रकृति रही है उसमें व्यावहारिक, तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विचारों की अहमियत है जो विभिन्न राज्यों के बीच विचारों अनुभवों व प्रयोगों के परस्पर आदान–प्रदान से ही पनपती है। इस संदर्भ में यह कार्यशाला एक प्लेटफार्म उपलब्ध करायेगा जहाँ संदर्भ विशेष पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न अहम् बिंदुओं पर चर्चा व विचार–विमर्श से नई बातें सामने आयेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में 22–23 फरवरी को स्थानीय सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन हॉल में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यशाला का फोकस बिहार की पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति तथा उनकी विशिष्टताओं पर रहेगा। इसमें पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जायेगा तथा पंचायती राज व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए समुचित कदम उठाने की सिफारिश भी की जायेगी ताकि वे संविधान की परिकल्पना के अनुरूप स्वशासी हो सकें। यह कार्यशाला इस मायने में महत्वपूर्ण होगा कि इसमें चिह्नित मसलों, सफलता की कहानियों, परिणाम आधारित रणनीति, पंचायती राज व्यवस्था में आवश्यक सुधार तथा भविष्य के नीति निर्धारण पर विमर्श होगा तथा समुचित मार्गदर्शन भी मिलेगा । इस कार्यशाला में नीति निर्धारक, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य सरकार व पंचायत स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा शोधार्थी भाग लेंगे।

मौलिक कारण :–

देश की शासन व्यवस्था में संविधान का 73वाँ संशोधन एक मील का पत्थर है। हालाँकि 73वाँ संशोधन देश भर में समान तीव्रता व उद्देश्य के साथ क्रियाशील नहीं हो सका जैसी अपेक्षा की गई थी। इस सशोधन का उद्देश्य स्थानीय स्वायत्र संस्थाओं के लिए समुचित माहौल तैयार करना था। ऐसी संस्थाएँ एक विशाल देश के लिए आवश्यक है जहाँ गाँव के स्तर पर अनेक सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध करानी है। ऐसी सेवाओं को एक बिंदु पर ले आना एक प्रभावी मशीनरी के लिए अनिवार्य है। देश में इन दोनों पहलुओं पर विभिन्न स्तरों पर कमी खलती है। गाँवों में विभिन्न किस्म की समस्याएं है तथा इस संदर्भ में यह माना जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं की सशक्त बनाने और संविधान के अनुरूप उन्हें अधिकार प्रदान करने स देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया न सिर्फ मजबूत होगी वरन यह लोगों को शक्ति प्रदान करने और लोकतंत्र व विकास की उनको आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 73वें संशोधन का एक मूलभूत मापदंड है आरक्षण व्यवस्था। इसकी बदौलत कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दबे–कुचले समुदाय के लोग निर्वाचित प्रतिनिधि बन सके हैं जिनमें एक तिहाई महिलाएँ है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए फैसले लेने, कार्यदक्षता बढ़ा कर लोगों को प्रभावपूर्ण तरीके से भाग लेने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का भी वादा किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था को नये तेवर के साथ देश व बिहार में दो दशक से लागू रहने के बाद अब जरूरत इस बात की है कि स्थिति का जायजा लेते हुए मौजूदा हालात का परीक्षण विश्लेषण कर उपलब्धियों की चर्चा की जाए और पंचायती राज व्यवस्था में कमियों को रेखांकित किया जाये।

बिहार में पंचायत :–

स्थानीय स्वशासन प्रणाली में बिहार ने अनेक पहल तो की है मगर उसमं कई बदलाव भी हुए है। प्रथम बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में पारित किया गया और चुनाव 1978 तक हुए। मगर, इसके बाद कोई चुनाव नही हो सका तथा पूर्व में निर्वाचित संस्थाएँ कई वर्षों तक कार्यरत रही। हालाँकि बाद में यह प्रगति के निर्धारित पथ पर अग्रसर हो गइ।

1992 में संविधान के 73वें (पंचायत) तथा 74वें (स्थानीय नगर निकाय) संशोधन के जरिये पंचायतों को महात्मा गाँधी के सपने के अनुरूप और भी शक्तिशाली बनाने की परिकल्पना की गई। इसके तहत् ग्राम सभा को अपना भाग्य विधाता बनने का अहम् हथियार बनाने की सोच थी। बिहार ने एक बार फिर पहल करते हुए 1993 में बिहार पंचायत राज अधिनियम लागू किया। मगर, किसी न किसी वजह से लंबें अर्से तक चुनाव नहीं हो सका। हालाँकि बिहार वर्ष 2001 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने में सफल हुआ और नये निर्वाचित सदस्यों के आने से उम्मीद बंधी कि पंयायत व्यवस्था का पुनरूत्यान होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में नई सरकार ने सत्ता में आते ही वर्ष 2006 तथा वर्ष 2008 में पंचायती राज अधिनियम में फिर से संशोधन कर इसे प्रगतिशील नजरिया प्रदान किया। इसके तहत् पंचायती राज संस्थाओं मं महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया। वास्तव में पंचायती राज संस्थाओं में 54 फीसदी महिलाएँ निर्वाचित हुई जिससे महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और भी प्रेरणा मिली।

बिहार अधिनियम की धारा 13 के तहत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ों वर्गों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 170 इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा पंचायत के सभी कार्यालय कर्मियों, सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत् 'लाक सेवक' घोषित करते हुए उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इसके अलावे 2006 के अधिनियम के तहत ग्राम कचहरी के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीणों के कतिपय दीवानी मामलों का पंचायत स्तर पर ही समाधान कर उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाया जा सके।

वर्ष 2006 के अधिनियम की धारा 168 के तहत राज्य वित्त आयोग का सृजन किया गया है जो पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर राजस्व वितरण की प्रक्रिया तय करेगा। जनवरी 2014 में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ऐसी उम्मीद है कि इसकी अनुशंसाएँ पंचायत राज संस्थाओं की गतिविधियों को और भी बढ़ावा देंगी क्योंकि राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त, जिम्मेवार और पारदर्शी बनाने के लिए कृत संकल्प है।

उद्देश्य :–

उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला विभिन्न मुद्दों पर बिन्दुवार विचार करेगी। मोटे तौर पर कार्यशाला के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होगें –

- बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की मौजूदा स्थिति की व्याख्या तथा अधिनियम पारित होने के बाद इसकी उपलब्धियों पर चर्चा।
- राज्य में पंचायतों को शक्तियाँ तथा कोष प्रदान करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन

- महिला तथा हाशिये पर खड़े समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया और उसका प्रभाव
- विकेन्द्रित योजना प्रक्रिया तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायतों का रोल
- व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान कर स्वशासी बनाने के लिए समुचित कदम उठाने का सुझाव देना।

स्वरूप :–

कार्यशाला में विशिष्ट थीम के साथ छह तकनीकी सत्र होंगे। हर सत्र मे विचार–विमर्श के मुद्दे पूर्व निर्धारित रहेंगे। प्रतिभागियों से विशिष्ट सुझावों के साथ अपना पक्ष रखने की अपेक्षा की जायेगी। विषय वस्तु पर मार्गदर्शन करने के लिए हर सत्र की अध्यक्षता एक विषय विशेषज्ञ करेंगे तथा संवाद संकलक हर सत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे। चर्चा के दौरान किसी विशेष पहल के सामने आने पर सत्र में बदलाव भी किया जा सकता है।

सत्रों के विषय हैं–

1. बिहार में पंचायती राज की मौजूदा स्थिति और उपलब्धियां ।
2. सत्ता का विकेन्द्रीकरण, कार्य, दायित्व पालनकर्त्ता और कोष
3. सशक्तिकरण की प्रक्रिया ।
4. विकेन्द्रित योजना प्रक्रिया में पंचायतों का रोल ।
5. ग्राम सभा के विकास की संभावना को वास्तविकता में लाना ।
6. पंचायत की तुलना में ग्रामीण विकास ।

प्रतिभागी :–

- राज्य स्तरीय वरीय पदाधिकारी
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/स्थायी समिति के अध्यक्ष/जिला परिषद् तथा पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य
- मुखिया/उपमुखिया/ग्राम कचहरी के निर्वाचित सदस्य
- जिला, पंचायत समिति एंव ग्राम पंचायत की पंचायती राज निकायों के अधिकारी
- जिला स्तर के सामाजिक क्षेत्र से पदाधिकारी
- पंचायती राज/ग्रामीण विकास/विकासात्मक अध्ययन के विद्वतजन
- विशेषज्ञ

आयोजन स्थल एवं तिथि :–

आयोजन स्थल : **बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन,** सिन्हा लाइब्रेरी रोड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निकट

तिथि : **शनिवार 22 फरवरी व रविवार 23 फरवरी 2014**

समय : **10 बजे पूर्वाहन – सायंकाल 5 बजे**

सम्पर्क

प्रो॰ जी॰पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट
रोड नं॰ 10(एच), वाटर पम्प हाउस के निकट, राजेन्द्र नगर, पटना–800016
फोन/फैक्स – 0612–2671820, मो॰ 9334766107,
ईमेल – gpscdmrpat@gmail.com

परिणाम :–

कार्यशाला समाप्त हो जाने पर समू द्वारा कार्यशाला के नतीजें टिप्पणी और अनुशंसाओं के तौर स्वीकार किये जायेंगे जिसमें नीति हस्तक्षेप तथा क्रियात्मक बिन्दु रहेंगे। कार्यशाला की कार्यवाही को समूह की टिप्पणी और अनुशंसाओं समेत दस्तावेज के रूप में तैयार कर उसे विचारार्थ योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सौंप दिया जायेगा।

****